प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 866/2004

<u>अपीलार्थीगण</u> - 1. खेलूराम, पिता प्राण सिंह, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम एवं पोस्ट नर्रा, थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़), ।

2. पिलेन्द्र कुमार साहू, पिता दयाराम साहू, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम कोदोपाली, पोस्ट भुरकोनी, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़)।

बनाम

<u>प्रत्यर्थीगण</u> - 1. कमल प्रसाद, पिता देवी सिंह, आयु लगभग 50 वर्ष, जाति पाडे, व्यवसाय-शिक्षक, निवासी ग्राम बिंदरावन, पोस्ट नर्रा, थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़) ।

2. द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा शाखा प्रबंधक, भवानी पटना (ओडिशा)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>उपस्थित:-</u>

अपीलार्थीगण की ओर से श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता सहित श्री वी. गोवर्धन, अधिवक्ता।

नोटिस की तामिली के पश्चात प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही।

आदेश (मौखिक)

(दिनांक 1.05.2007 को पारित)

सुना गया।

मोटर साइकिल क्रमांक MP23 YA 9038 के स्वामी एवं चालक ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 173 के तहत यह अपील प्रस्तुत की है। यह अपील द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, महासमुंद द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 36/2003 में पारित दिनांक 31.3.2004 के अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। इस अधिनिर्णय के माध्यम से विद्वान अधिकरण ने प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को दिनांक 27.5.2002 को हुई दुर्घटना में लगी चोटों के लिए 90,800/- रुपये की राशि प्रदान की है। उक्त दुर्घटना तब हुई थी जब अपीलार्थी क्रमांक 1 संबंधित वाहन को तेज गति और उपेक्षापूर्ण तरीके से चला रहा था।

अपीलार्थीगण ने यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत की है कि अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जो यह दर्शाते हैं कि अपीलार्थी क्रमांक 2 संबंधित मोटरसाइकिल का स्वामी नहीं था, क्योंकि उक्त वाहन एक मनोहर गोंड को नामांतरित किया जा चुका था, जिसने आगे इसे पूरन नामक व्यक्ति को नामांतरित कर दिया था। हालांकि, अधिकरण ने उपरोक्त तथ्य पर विचार किए बिना अपीलार्थी क्रमांक 2 पर दायित्व थोप दिया है। दावे के आवेदन के उचित अधिनिर्णय के लिए बाद के खरीदार, अर्थात् मनोहर गोंड और पूरन, आवश्यक पक्षकार थे और उनकी अनुपस्थिति में दावा याचिका का अधिनिर्णय नहीं किया जा सकता था। अपीलार्थीगण द्वारा उठाया गया दूसरा आधार यह है कि दावेदार ने अपने दावे के प्रयोजन के लिए दवाओं की क्रय की रसीदों जैसे दस्तावेजों पर भरोसा किया है, जो प्रत्यक्ष रूप से झूठे और कूटरचित हैं।

संजय सिंह ठाकुर बनाम सुल्तान अहमद एवं अन्य, 1996 एम.पी.एल.जे. **83** के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए यह तर्क दिया गया है कि जहाँ कीमत के भुगतान और खरीदार को कब्जे की सुपुर्दगी पर मोटरसाइकिल का नामांतरण पूरा हो जाता है, वहाँ पंजीयन प्रमाणपत्र में नाम दर्ज होना महत्वहीन है। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बिमला देवी एवं अन्य, 2006** एसीजे **402** के मामले में दिए गए निर्णय का भी अवंलब लिया गया है और यह तर्क दिया गया है कि जो दस्तावेज सार्वजनिक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें न तो साक्ष्य में लाया जा सकता है और न ही उन पर तब तक भरोसा किया जा सकता है जब तक कि उन्हें सिद्ध न कर दिया जाए।

मैंने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

जहाँ तक इस अपील में अपीलार्थीगण द्वारा लिए गए पहले आधार का संबंध है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी क्रमांक 2 वाहन का पंजीकृत स्वामी है। इस बात में भी कोई विवाद नहीं है कि संबंधित समय पर अपीलार्थी क्रमांक 1 उक्त वाहन चला रहा था और तदनुसार उन्हें प्रश्नगत वाहन के चालक और स्वामी के रूप में अनावेदक क्रमांक 1 और 2 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। संबंधित पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, अधिकरण ने विवाद्यक तय किए थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विवाद्यक क्रमांक 1 पर विचार करते समय—अर्थात क्या दिनांक 27.5.2002 को संध्या लगभग 7.00 बजे, अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा संचालित और अनावेदक क्रमांक 1 के स्वामित्व वाली मोटरसाइकिल को तेज गति और उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर कमल प्रसाद को टक्कर मारी गई थी—अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हालांकि अनावेदक क्रमांक 2 ने सुनहर (आ.सा.-2) का परीक्षण कराया है, जो मनोहर गोंड का भाई है। सुनहर ने कहा है कि उसके भाई मनोहर ने पिलेन्द्र (अनावेदक क्रमांक 2) से मोटरसाइकिल क्रय की थी और उसके 2-3 महीने बाद उसने इसे पूरन नामक व्यक्ति को विक्रय कर दिया था। उसने आगे कहा है कि उसे जानकारी नहीं है कि वर्तमान में मोटरसाइकिल किसके कब्जे में है और न ही उसे मनोहर के ठिकाने के बारे में पता है, क्योंकि वह पिछले दो वर्षों से वापस नहीं आया है। उसने यह नहीं बताया कि उसके भाई ने वाहन किस कीमत पर क्रय किया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अपीलार्थी क्रमांक 2 के अनुरोध पर अभिसाक्ष्य देने आया है।

इस प्रकार, आ.सा. -2 के कथन के आधार पर, अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वाहन का पंजीकृत स्वामी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि वाहन वास्तव में उसके द्वारा मनोहर गोंड को नामांतरित किया गया था, क्योंकि अपीलार्थी क्रमांक 2 द्वारा

उक्त मनोहर के पक्ष में मोटरसाइकिल के नामांतरण के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ तक कि क्रेता का भी परीक्षण नहीं किया गया है और क्रेता के भाई, जिसका आ.सा.-2 के रूप में परीक्षण किया गया है, वह इस संव्यवहार से अनभिज्ञ है, जैसा कि उसके अभिकथन से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय उस विवाद से संबंधित है जहाँ अंतरिम अधिनिर्णय के भुगतान के दायित्व पर विचार किया जा रहा था। वाहन के स्वामित्व के संबंध में विवाद को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अधिकरण को उस स्तर पर पंजीकृत स्वामी और अंतरिती दोनों को अंतरिम अधिनिर्णय के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराना चाहिए था। तदनुसार, यह माना गया था कि पंजीकृत स्वामी और अंतरिती दोनों संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से अंतरिम अधिनिर्णय की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि, वर्तमान मामले में अपीलार्थी क्रमांक 2 मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके यह स्थापित करने में विफल रहा है कि दुर्घटना में शामिल मोटरसाइकिल वास्तव में उसके द्वारा मनोहर गोंड को अंतरित किया गया था, जैसा कि आरोप लगाया गया है। इसलिए, अधिकरण ने सही माना है कि अपीलार्थी क्रमांक 2 चालक (अपीलार्थी क्रमांक 1) के साथ प्रतिकर की राशि का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जहाँ तक अपीलार्थीगण द्वारा लिए गए दूसरे आधार का संबंध है कि अधिनिर्णय उन दस्तावेजों पर आधारित है जो प्रत्यक्ष रूप से मनगढ़ंत हैं; इस आधार को स्थापित करने के लिए अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दस्तावेजों (प्र.पी.-16, 17, 20, 23 और 26) का संदर्भ दिया और तर्क प्रस्तुत किया कि इन कैश मेमो के नंबर और जारी करने का दिनांक यह दर्शाती हैं कि ये दस्तावेज बाद में दावेदार द्वारा केवल भारी प्रतिकर प्राप्त करने के लिए प्राप्त किए गए थे। बिलों की संख्या और तिथियां यह दर्शाती हैं कि वे उन तिथियों पर जारी नहीं किए जा सकते थे जिन पर उन्हें जारी किया जाना दिखाया गया है। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि बिलों को दावाकर्ता द्वारा प्रमाणित किया

जाना चाहिए था क्योंकि वे सार्वजनिक दस्तावेज नहीं हैं और इसलिए, अधिकरण द्वारा उन दस्तावेजों को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था।

अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों से, विशेष रूप से एक्स-रे फिल्मों और रेडियोलॉजिस्ट द्वारा दी गई रिपोर्टों से, यह स्थापित होता है कि दावाकर्ता की जांघ, कोहनी में अस्थिभंग हुआ था और खोपड़ी पर भी गंभीर चोट आई थी। दावे की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही होती है और दावाकर्ता द्वारा अपने उपचार में किए गए खर्च को स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, चिकित्सकीय बिल की रसीदों को दावाकर्ता द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, जैसा कि इस मामले में सिद्ध किया गया है। उसे उस केमिस्ट (दवा विक्रेता) को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जिसने रसीदों के माध्यम से दावाकर्ता को दवाएं बेची थीं। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थीगण द्वारा इस संबंध में अधिकरण के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई अभिवचन भी नहीं किया गया था कि बिल वास्तव में केवल प्रतिकर प्राप्त करने के लिए प्राप्त किए गए कूटरचित बिल थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों पर आधारित है और इस अपील में कोई सार नहीं है। यह अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार, इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

सही/-

(धीरेंद्र मिश्रा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**